

67-2...
D. P. Shahi

अधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
गई कार्रवाई
बारे में टिप्पणी
तिथि सहित

30.1.23

प्रथम पक्ष - की हाजरी है तथा SIC दारिकल
किया गया है।
द्वितीय पक्ष - SIC दारिकल करने हेतु समय
आवेदन है।

SIC IX

03.2.23


03.2.23

प्रथम पक्ष - की हाजरी है।
द्वितीय पक्ष - परजा हासदा की हाजरी है तथा
SIC दारिकल किया गया है।

SIC पक्ष

उभय पक्षों के दलील एवं कारण-पुच्छा के
अवलोकन से ज्ञात प्रतिबलित है कि वाद
स्वत्व से संबंधित है। जिसका नियंत्रण
इस न्यायालय से नहीं किया जा सकता है।
अतः वाद की कार्यवाही को समाप्त कर
अभिलेख को बन्द किया जाना है।

उत्पादित एवं संशोधित


अनु० ६०३०
जि.सी.सी.


अनु० ६०३०
जि.सी.सी.